"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2015—अग्रहायण 6, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, छोटू राम पिता श्री दशरथ लाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी-ग्राम व पोस्ट बोरिद, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक रिकार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम छोटू राम दर्ज है तथा मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में मेरा नाम छोटू वर्मा दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम आशीष वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे आशीष वर्मा पिता श्री दशरथ लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
छोटू राम पिता श्री दशरथ लाल निवासी-ग्राम व पोस्ट बोरिद तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)	आशीष वर्मा पिता श्री दशरथ लाल निवासी-ग्राम व पोस्ट बोरिद तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सुधा विश्वकर्मा पति श्री चन्द्रप्रकाश, उम्र 40 वर्ष, निवासी-वार्ड क्र. 20, शिक्षित नगर, बहोरण महाराज हाऊस के पास, चरोदा भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मुझे कु. सुधा पिता श्री मनहरण लाल विश्वकर्मा के नाम से जानी पहचानी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह श्री चन्द्रप्रकाश पिता श्री थानुराम विश्वकर्मा के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सुधा विश्वकर्मा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती सुधा विश्वकर्मा पति श्री चन्द्रप्रकाश विश्वकर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुधा
पति श्री चन्द्रप्रकाश विश्वकर्मा
निवासी- वार्ड क्र. 20, शिक्षित नगर,
बहोरण महाराज हाऊस के पास
भिलाई चरोदा, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती सुधा विश्वकर्मा
पति श्री चन्द्रप्रकाश विश्वकर्मा
निवासी- वार्ड क्र. 20, शिक्षित नगर,
बहोरण महाराज हाऊस के पास
भिलाई चरोदा, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राज सिंह आत्मज श्री अमरेज सिंह, उम्र 35 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 6 ए, सड़क नं. 31, सेक्टर 7, भिलाईनगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि जन्म प्रमाण पत्र में मेरा नाम राज सिंह पिता श्री अमरेज सिंह दर्ज है जो सही है किन्तु मेरे कक्षा पांचवी, आठवीं, दसवीं, बारहवीं की शिक्षा प्रमाण पत्र में मेरा नाम त्रुटिवश राम सिंह दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम राज सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे राज सिंह आत्मज श्री अमरेज सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

राम सिंह
आत्मज श्री अमरेज सिंह
निवासी- क्वा. नं. 6 ए, सड़क नं. 31,
सेक्टर 7, भिलाईनगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

राज सिंह
आत्मज श्री अमरेज सिंह
निवासी- क्वा. नं. 6 ए, सड़क नं. 31,
सेक्टर 7, भिलाईनगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, इवोन फिलिप्स आ. श्री एल. एल. फिलिप्स, आयु 35 वर्ष, निवासी-टाटा मोटर्स के पीछे, कुरैशी हाउस, कृष्णानगर सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड में मेरा नाम इवोन फिलिप्स (YVONNE PHILLIPS) पिता श्री एल. एल. फिलिप्स (L. L. PHILLIPS) दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम ग्लोरिया विलियम्स फिलिप्स रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे ग्लोरिया विलियम्स फिलिप्स आ. श्री एल. एल. फिलिप्स के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
इवोन फिलिप्स (YVONNE PHILLIPS) आ. श्री एल. एल. फिलिप्स, निवासी-टाटा मोटर्स के पीछे, कुरैशी हाउस, कृष्णानगर, सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	ग्लोरिया विलियम्स फिलिप्स (GLORIA WILLIAMS PHILLIPS) आ. श्री एल. एल. फिलिप्स, निवासी-टाटा मोटर्स के पीछे, कुरैशी हाउस, कृष्णानगर, सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती नित्या नेमा पति श्री नितिन नेमा, आयु 26 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 20/बी, सड़क 2, सेक्टर 2, भिलाईनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कुमारी भारती सिन्हा पिता स्व.श्री प्रहलाद राम सिन्हा था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 12-12-2014 को नितिन नेमा आत्मज श्री सत्यनारायण नेमा के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती नित्या नेमा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती नित्या नेमा पति श्री नितिन नेमा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. भारती सिन्हा पिता स्व. श्री प्रहलाद राम सिन्हा निवासी-राधिका नगर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती नित्या नेमा पति श्री नितिन नेमा निवासी-क्वा. नं. 20/बी, सड़क नं. 2 सेक्टर 2, भिलाईनगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ. ग.)

रायपुर , दिनांक 26 अक्टूबर 2015

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2015-16

क्रमांक/365/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री बलदाऊ साहू वल्द स्व. जगत राम साहू निवासी- कपसदा रायपुर द्वारा ''ऊँ श्री सिद्ध भैरवबाबा धाम ट्रस्ट'' पता-ग्राम कपसदा उप तहसील धरसींवा रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	''ऊँ श्री सिद्ध भैरवबाबा धाम ट्रस्ट'' पता-ग्राम कपसदा उप तहसील धरसींवा रायपुर तहसील व जिला रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	10,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 30-11-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 26-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

रायपुर , दिनांक 1 नवम्बर 2015

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2015-16

क्रमांक/364/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री रविशंकर कुमार आत्मज श्री भागवत प्रसाद निवासी- शंकर नगर रायपुर द्वारा ''ह्यूमन डिग्निटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया'', पता मकान नं. 34/898 राजेन्द्र नगर, पानी टंकी के समीप, अरविंद दीक्षित वार्ड रविग्राम रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	''ह्यूमन डिग्निटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया'', पता मकान नं. 34/898 राजेन्द्र नगर, पानी टंकी के समीप, अरविंद दीक्षित वार्ड रविग्राम रायपुर, तहसील व जिला रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	10,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 14-12-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 01-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. अग्रवाल
पंजीयकअनुविभागीय अधिकारी (रा) .

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर , दिनांक 4 नवम्बर 2015

क्रमांक/3431/परि./2015.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/3016 दिनांक 23-09-2015 भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एवं सुविधा सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर, विकास खण्ड बिल्हा पं. क्र. 07 दिनांक 26-02-1998, जिला बिलासपुर, को परिसमापन में लाया जाकर श्री श्रीकांत शुक्ला, उप अंकेक्षक, को सहकारी अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है. चूंकि संस्था का कार्यक्षेत्र संभाग स्तरीय है अत: परिसमापक नियुक्ति का उपरोक्त आदेश एतद्‌द्वारा निरस्त किया जाता है.

बिलासपुर , दिनांक 4 नवम्बर 2015

क्रमांक/3432/परि./2015.—प्रेस कर्मचारी संघ गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर, विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पं. क्र. 257 दिनांक 31-05-2008 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2485 दिनांक 03-08-2015 के द्वारा दिया गया था उत्तर प्राप्त हुआ प्राधिकृत अधिकारी एवं संस्था के सदस्यों के द्वारा संस्था अकार्यशील होने एवं भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं होने के कारण संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुशंसा की गई है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्रेस कर्मचारी संघ गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर, विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पं. क्र. 257 दिनांक 31-05-2008 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सी. पी. बाजपेयी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

क्रमांक /परिसमापक/अंकेक्षण अधिकारी/2015/937 .—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र.	परिसमापन आदेश क्रमांक दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मौली बुनकर सहकारी समिति मर्या. भाटापारा.	1998	208/05-03-2014	श्री ए. आर. ध्रुव

अतएव छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार-भाटापारा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वत: विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 08-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

बलौदाबाजार, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

क्रमांक /परिसमापक/व. स. नि./2015/937 .—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार -भाटापारा द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र.	परिसमापन आदेश क्रमांक दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महामाया प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या. लवन.	2536	284/25-03-2014	श्री एम. आर. ध्रुव
2.	मां त्रिदेवी प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या. अचानकपुर.	2560	292/25-03-2014	--,,--
3.	जय छ. ग. प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या. सुढ़ेला.	2568	294/25-03-2014	--,,--
4.	रानी दमयंती प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या. ढनढनी.	2578	298/25-03-2014	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	श्रीराम प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या. पांहदा (कंजी)	2628	318/25-03-2014	श्री एम. आर. ध्रुव
6.	अरूणोदय मजदूर सहकारी समिति मर्या. रवान.	2177	209/05-03-2014	--,,--
7.	कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बलौदाबाजार.	73	210/05-03-2014	--,,--

अतएव छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वत: विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 12-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

एम. आर. ध्रुव,
परिसमापक एवं व. स. नि.

बलौदाबाजार, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

क्रमांक /परिसमापक/व. स. नि./2015/937 .—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र.	परिसमापन आदेश क्रमांक दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छ. ग. प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. कसडोल	2476	282/25-03-2014	श्री जी. सूर्यनारायण
2.	गंगा प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. टुण्डरा	2616	313/25-03-2014	--,,--
3.	बिलाईमाता प्राथ. सह. उप. भ. मर्या. कसडोल	2618	315/25-03-2014	--,,--
4.	ज्वाला छ. ग. प्राथ. सह. उप. भ. मर्या. कसडोल	2619	316/25-03-2014	--,,--
5.	मछुवा सहकारी समिति मर्या. कसडोल	1814	263/25-03-2014	--,,--
6.	महामाया मत्स्य सहकारी समिति मर्या. कसडोल	2163	264/25-03-2014	--,,--
7.	जय बंजारी मत्स्य सहकारी समिति मर्या. गजराडीह.	2541	265/25-03-2014	--,,--

अतएव छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार-भाटापारा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वत: विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 12-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

जी. सूर्यनारायण,
परिसमापक/व. स. नि.

बलौदाबाजार, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

क्रमांक /परिसमापक/व. स. नि./2015/937 .—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र. (1)	समिति का नाम (2)	पं. क्र. (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक दिनांक (4)	परिसमापक का नाम (5)
1.	मंगलम् प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. सिमगा	2516	283/25-03-2014	श्री सी. पी. ठाकुर
2.	मां भवानी प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. औरेठी	2546	286/25-03-2014	--,,--
3.	सोमनाथ प्राथ. सह. उप. भ. मर्या. गोरदी	2554	289/25-03-2014	--,,--
4.	मां सुन्दरी माता प्राथ. सह. उप. भ. मर्या. टेकारी	2571	296/25-03-2014	--,,--
5.	मां धनवन्तरी प्राथ. सह. उप. भ. मर्या. भालेसुर	2572	297/25-03-2014	--,,--
6.	दुर्गेश प्राथ. सह. उप. भ. मर्या. घोघा	2607	311/25-03-2014	--,,--
7.	अंबुजा प्राथ. सह. उप. भ. मर्या. बुडगहन	2548	288/25-03-2014	--,,--
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. रावन	2009	/31-03-2014	--,,--
9.	निरतरंग बुनकर सहकारी समिति मर्या. रावन	2439	517/28-06-2014	--,,--

अतएव छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (5) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार-भाटापारा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वत: विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 12-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

सी. पी. ठाकुर,
परिसमापक एवं व. स. नि.

बलौदाबाजार, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

क्रमांक /परिसमापक/व. स. नि./2015/937 .—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र. (1)	समिति का नाम (2)	पं. क्र. (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक दिनांक (4)	परिसमापक का नाम (5)
1.	पत्थर खदान एवं स्टोन क्रेशर सहकारी समिति मर्या. ठेलकी.	2305	274/25-03-2014	श्री एस. के. जैसवारा
2.	पत्थर खदान कामगार औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. डुम्हानी	2360	278/25-03-2014	--,,--
3.	रास प्राथ. मत्स्य सहकारी समिति मर्या. भटगांव.	2161	267/25-03-2014	--,,--
4.	अनुसूचित जाति प्राथ. मत्स्य सहकारी समिति मर्या. देवरबोड़	2349	268/25-03-2014	--,,--
5.	जय महामाया यातायात सहकारी समिति मर्या. सरसींवा.	151	211/05-02-2014	--,,--
6.	यातायात सह. समिति मर्या. सरसींवा	152	312/05-02-2014	--,,--

अतएव छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार-भाटापारा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वत: विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 12-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

एस. के. जैसवारा,
परिसमापक एवं व. स. नि.

बलौदाबाजार, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

क्रमांक /परिसमापक/स. नि./2015/937 .—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र.	परिसमापन आदेश क्रमांक दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पंडित नेहरू कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. कसडोल.	160	214/05-03-2014	श्री एम. ए. एस. अगवान
2.	शहीद वीरनारायण सिंह बांस उद्योग सहकारी समिति मर्या. सोनाखान.	2167	213/05-03-2014	--,,--

अतएव छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार-भाटापारा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वत: विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 12-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

एम. ए. एस. अगवान,
परिसमापक/स. नि.

बलौदाबाजार, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

क्रमांक /परिसमापक/उप अंकेक्षक/2015/937 .—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र.	परिसमापन आदेश क्रमांक दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बांस उद्योग सहकारी समिति मर्या. सोनपुर.	1790	772/08-08-2014	श्री डी. के. भारद्वाज
2.	सुंदरफर्शी खदान औद्योगिक सहकारी समिति मर्या. खपरीडीह	2265	773/08-08-2014	--,,--
3.	जय मां दुर्गा रेत खदान सहकारी समिति मर्या. हरदी.	2661	794/19-08-2014	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	विमुक्त बंधुवा मजदूर दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या. डुमरपाली.	2261	775/08-08-2014	श्री डी. के. भारद्वाज
5.	महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या. गोलाझर.	2671	774/08-08-2014	--,,--
6.	ओम नमः शिवाय प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या. चांदन.	2581	776/08-08-2014	--,,--
7.	जय ओम नमः शिवाय प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या. अर्जुनी (बल्दा)	2595	777/08-08-2014	--,,--
8.	मां अन्नापूर्णा प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या. खपरीडीह (कुम्हारी)	2600	778/08-08-2014	--,,--
9.	जनसेवा प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या. देवपुर.	2604	779/08-08-2014	--,,--
10.	लड्डू गोपाल प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या. राजादेवरी.	2617	780/08-08-2014	--,,--

अतएव छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार-भाटापारा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वतः विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 12-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

डी. के. भारद्वाज,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

बलौदाबाजार, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

क्रमांक /परिसमापक/उप अंकेक्षक/2015/937 .—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र.	परिसमापन आदेश क्रमांक दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ज्योति महिला कामगार सहकारी समिति मर्या. लिमतरा.	2335	276/25-03-2014	श्री जे. के. टण्डन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	जनवादी श्रमिक पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. हिरमी.	2418	279/25-03-2014	श्री जे. के. टंडन
3.	शहीद भगतसिंह पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. गिधपुरी.	2662	281/25-03-2014	--,,--
4.	मां मंशादेवी प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. कुकदा.	2547	287/25-03-2014	--,,--
5.	मां छोटी मंशादेवी प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. तेलासी.	2556	290/25-03-2014	--,,--
6.	श्याम प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. मुड़पार (सण्डी)	2559	291/25-03-2014	--,,--
7.	महानदी प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. पलारी.	2623	317/25-03-2014	--,,--
8.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या. वटगॅन	2218	353/31-03-2014	--,,--
9.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या. कुसमी	2131	354/31-03-2014	--,,--

अतएव छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार-भाटापारा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वत: विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 12-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

जे. के. टण्डन,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

बलौदाबाजार, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

क्रमांक /परिसमापक/उप अंकेक्षक/2015/937 .—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र.	परिसमापन आदेश क्रमांक दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जागृति महिला पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. भालूकोना.	2332	275/25-03-2014	श्री आर. एल. देवांगन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	भारत मजदूर महिला पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. परसापाली.	2440	272/25-03-2014	श्री आर. एल. देवांगन
3.	सोनाडीह सीमेंट वर्क्स वेल्फेयर सह. समिति मर्या. सोनाडीह.	2357	277/25-03-2014	--,,--
4.	कौशलपुर मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या. कोलिहा.	2055	266/25-03-2014	--,,--
5.	मजदूर पत्थर बोल्डर उत्खनन सहकारी समिति मर्या. भेरूवाडीह.	224	270/25-03-2014	--,,--
6.	मां मावलीमाता प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या. भोथीडीह.	2545	285/25-03-2014	--,,--
7.	मां राजेश्वरी प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या. सूमा.	2570	295/25-03-2014	--,,--
8.	मारूत प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या. चिचपोल.	2587	302/25-03-2014	--,,--

अतएव छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वत: विधिवत प्रस्तुत किये ये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 12-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

आर. एल. देवांगन,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक .

बलौदाबाजार, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

क्रमांक /परिसमापक/उप अंकेक्षक/2015/937 .—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र.	परिसमापन आदेश क्रमांक दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शिवाजी प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. मोहतरा.	2584	300/25-03-2014	श्री आर. के. यादव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	पवन प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. गदहाभाठा.	2586	301/25-03-2014	श्री आर. के. यादव
3.	पूजा प्राथ. सह. उप. भ. मर्या. गिरसा	2588	303/25-03-2014	--,,--
4.	आरती प्राथ. सह. उप. भ. मर्या. सलिहाघाट	2589	304/25-03-2014	--,,--
5.	अभ्युदय प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. ओड़काकन	2592	305/25-03-2014	--,,--
6.	आदर्श प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. सेमरिया (मिनौदा)	2593	306/25-03-2014	--,,--
7.	श्री बजरंग प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. सोनियाडीह.	2598	308/25-03-2014	--,,--
8.	जय मां सांकरा प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. परसाडीह.	2610	312/25-03-2014	--,,--

अतएव छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार-भाटापारा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वत: विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 12-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

आर. के. यादव,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.